

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.**

मि०न० - 68/2026

अनवान :-

1. दिलबाग सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. गुरविन्द्र सिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सबदीप कौर पत्नी अर्जुन सिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

**वादीगण**

बनाम्

1. अर्जुनसिंह पुत्र जीतसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. अमनदीप कौर पुत्री अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. हरपिन्द्र कौर पुत्री अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रमनदीप कौर पुत्री अर्जुनसिंह जाति जटसिख निवासी नाईवाला त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

**प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी सुभाष गर्ग व महावीर वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 9 सीडीआर खाता सं० 9/11, चक 10 सीडीआरबी खाता सं० 5/5 व चक 9 सीडीआर खाता सं० 250/220 में वादीगण को निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित कर किया जाता है-

**क.वादीगण सं० 1 दिलबागसिंह व वादी सं० 2 गुरविन्द्र सिंह को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी :-** चकन० 9 सीडीआर के प०न० 227/254 मु० 62 किलान० 16/1/.228, 16/2/.025 है० गै०मु० खाला, 17,24, 25/1/.228, 25/2/.025 है० गै०मु० खाला, प०न० 228/254 मु० 63 किलान० 11, 12, 19, 20, 21, 22, प०न० 228/255 मु० 70 किलान० 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै०मु० खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० खाला, 5/1/.202, 5/2/.051 है० गै०मु० खाला, प०न० 229/252 मु० 50 किलान० 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै०मु० खाला, 4/1/.228, 4/2/.025 है० गै०मु० खाला, 5/1/.202, 5/2/.051 है० खाला, 6/1/.228, 6/2/.025 है० खाला, 7, 8, 10/1.101, 10/3/.025 है० रास्ता, प०न० 230/252 मु० 51 किलान० 1, 10/2/.228, 11/2/.190 है०

**ख.वादीया सं० 3 सबदीप कौर पत्नी अर्जुनसिंह को प्राप्त आराजी:-** चकन० 9 सीडीआर के खाता सं० 250/220 में अंकित कुल 0.759 है० तथा चक न० 10 सीडीआर बी के खाता सं० 5/5 में अंकित 0.518 है०। इसी अनुसार चक 9 सीडीआर के खाता सं० 9/11 में से अर्जुनसिंह का हिस्सा कम किया जावे व चक 9 सीडीआर के खाता सं० 250/220 में से गुरविन्द्र सिंह का नाम कलमजन व चक न. 10 सीडीआरबी के खाता सं० 5/5 में से गुरविन्द्र सिंह का नाम कलमजन किया जाकर उपरोक्तानुसार यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्ष अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 29/5/26 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़  
R.A.S